(28)

संख्याः– 6885 /III(2)/10–18(एम0एल0ए0)/2008 टी0सी0–1.

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 22 मार्च , 2011

विषयः– जनपद देहरादून में राज्य योजना के अन्तर्गत सरस्वती विहार (अजबपुर खुर्द) के आन्तरिक मार्गो का सुधारीकरण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संः–347/III(2)/09–18(एम0एल0ए0)/2008 टी0सी0–1 दिनांक 02 मार्च, 2009 के क्रमांक–25 पर उल्लिखित कार्य **"पटेलनगर से सरस्वती विहार अजबपुर खुर्द मार्ग का निर्माण, जिसकी लम्बाई 1.60 किमी0 तथा लागत ₹ 329.13 लाख"**, हेतु प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त करते हुए वर्तमान में मुख्य अभियन्ता, ग0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी के पत्र संः– 06/24(587)याता0–पर्व0/2010 दिनांक 10–01–2011 द्वारा **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून में सरस्वती विहार (अजबपुर खुर्द) के आन्तरिक मार्गो का सुधारीकरण कार्य,** जिसकी लम्बाई 9.50 किमी0 है, हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आंकलित धनराशि ₹ 312.56 लाख (₹ तीन करोड़ बारह लाख छप्पन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में ₹ 1.00 लाख (₹ एक लाख मात्र) के व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

2– विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत विस्तृत आगणन में साईन बोर्ड के कार्यो हेतु प्राविधानित ₹ 2.00 लाख के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

3– कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

5– प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6– ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में **debitable** आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

9– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

10– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

11– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जायेगा।

12– यदि संलग्न कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13– स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

14– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संः– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15– व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31 मार्च, 2011 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय।

16– इस सम्बन्ध में शासनादेश संः– 1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 का कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

18– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 898/XXVII/(2)/2010 दिनांकः 21 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्याः– 6885 (1)/III(2)/10–18(एम0एल0ए0)/2008 टी0सी0–1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, नवॉ वृत्त, लो0नि0वि0 देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून।
10. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव